Subject :- To upload the Annual Administrative Reports of the Secondary Education Department for the year (2018-19 & 2019-20).

Will Superintendent (IT Cell) pay attention on the subject cited above?

It is requested to upload the Annual Administrative Reports (AAR) of Secondary Education Department for 2018-19 & 2019-20 on the website of the Department. Scanned copies of AARs for 2018-19 & 2019-20 have already been emailed to edusec.itcell@gmail.com on 21.03.2022.

DA: As above.

Research Officer

To

Superintendent (I.T. Cell)

Memo No. 4/1-2022 Stat
Dated: 21.03.2022

माध्यमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 2018–19 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय पहला

प्रशासन एवं संगठन

1. ढांचा

1.1 सचिवालय स्तर पर

वर्ष 2018–19 में 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिवालय स्तर पर ढांचा इस प्रकार रहा :–

शिक्षा मंत्री	अवधि
श्री रामबिलास शर्मा	01.04.2018 से 31.03.2019

1.2 प्रशासनिक स्तर पर

नाम	पद	अवधि
श्रीमती धीरा खण्डेलवाल, आई0ए0एस0	अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग	01.04.2018 से 10.12.2018
श्री पी0के0 दास, आई0ए0एस0	अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग	10.12.2018 से 31.03.2019

1.3 निदेशालय स्तर पर

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा के पद पर श्री राजीव रतन, आई0ए0एस0 दिनांक 01.04.2018 से 24.10.2018 तक कार्यरत थे। इनके उपरान्त डॉ0 राकेश गुप्ता, आई0ए0एस0 दिनांक 25.10.2018 से 31.03.2019 तक निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा रहे। वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित पदों पर नियुक्त अधिकारियों (as on 31.03.2019) ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए निदेशक महोदय को सहयोग दिया:–

क्रमांक	पद का नाम	अधिकारियों की संख्या
1	अतिरिक्त निदेशक प्रशासन (HCS)	04
2	अतिरिक्त निदेशक शैक्षणिक	01
3	संयुक्त निदेशक (IT)	01
4	उप निदेशक	04
5	उप निदेशक (IT)	01
6	सहायक निदेशक	09
7	मुख्य लेखा अधिकारी	00
8	बजट अधिकारी (सै0)	01
9	रजिस्ट्रार (सै0)	02
10	जिला न्यायवादी	02
11	उप जिला न्यायवादी	02

12	सहायक जिला न्यायवादी	07
13	अधीक्षक / उप अधीक्षक	29+18 = 48
14	अनुसंधान अधिकारी	01
15	प्रोग्रामर	05

1.4 जिला स्तर पर

राज्य के प्रत्येक जिले में विद्यालय का प्रशासन, नियंत्रण और विकास का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा – नीतियों को कार्यरूप देने में सहयोग करते हैं। जिलों में शिक्षा के विकास कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने खण्ड में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक उप जिला शिक्षा अधिकारी, एक विज्ञान परामर्शदाता, एक गणित परामर्शदाता तथा एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेल–कूद) भी नियुक्त हैं।

1.5 विद्यालय स्तर पर

सभी राजकीय उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासन मुख्य अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के द्वारा चलाया जाता है। सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने–अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के शैक्षिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी / विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

1.6 मान्यता प्राप्त विद्यालय

मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रशासन, सम्बन्धित प्रबन्धक समितियों द्वारा चलाया जाता है। ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं।

अध्याय दूसरा

2.1 उच्च स्तर की शिक्षा

राज्य में उच्च स्तर की शिक्षा कक्षा नौवीं और दसवीं में दी जाती है। इसके लिए राज्य में उच्च विद्यालय स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त नौवीं और दसवीं की कक्षाएँ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भी चलती हैं। राज्य में माध्यमिक शिक्षा सुविधा औसतन 1.30 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है।

2.1.1 उच्च विद्यालयों की संख्या

वर्ष 2018–19 में राज्य में उच्च विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी:–

प्रबन्ध	लड़कों व सहशिक्षा के लिए	लडकियों के लिए	कुल
राजकीय	1030	178	1208
अराजकीय (अन्य)	2043	4	2047
कुल	**3073**	**182**	**3255**

2.1.2 छात्र नामांकन

रिपोर्टाधीन अवधि में उच्च विद्यालयों तथा उच्च स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार से रही:–

कक्षा 9वीं से 10वीं तक छात्र संख्या (वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों सहित)

प्रबन्ध	कुल छात्र (कक्षा 9वीं से 10वीं)			केवल अनुसूचित जाति के छात्र		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
राजकीय	185628	199917	385545	93767	76719	170486
अराजकीय (अन्य)	318246	194352	512598	29325	23993	53318
कुल	**503874**	**394269**	**898143**	**123092**	**100712**	**223804**

2.1.3 अध्यापक संख्या

वर्ष 2018–19 के दौरान उच्च विद्यालयों में तथा उच्च स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार रही :–

प्रबन्ध	पुरूष	महिलाएं	कुल
राजकीय	8480	5810	14290
अराजकीय (अन्य)	11222	11096	22318
कुल	**19702**	**16906**	**36608**

2.2 वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) स्तर की शिक्षा

राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं में दी जाती है। इसके लिए राज्य में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त मान्यता–प्राप्त अराजकीय

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी हैं। राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा सुविधा औसतन 1.66 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है।

2.2.1 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

वर्ष 2018–19 में राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार रही:–

प्रबन्ध	लड़कों व सहशिक्षा के लिए	लड़कियों के लिए	कुल
राजकीय	1776	323	2099
अराजकीय (अन्य)	2933	21	2954
कुल	**4709**	**344**	**5053**

2.2.2 विद्यालयों का स्तरोत्थान

1. वर्ष 2018–19 के दौरान 32 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का स्तरोन्नत किया गया।
2. वर्ष 2018–19 के दौरान एक नया राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बनयानी जिला रोहतक में खोला गया।

2.2.3 छात्र नामांकन

वर्ष 2018–19 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार रही:

कक्षा 11वीं से 12वीं तक

प्रबन्ध	कुल छात्र (कक्षा 11वीं से 12वीं)			केवल अनुसूचित जाति के छात्र		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
राजकीय	101733	108973	210706	38953	31870	70823
अराजकीय (अन्य)	178816	124492	303308	12331	10090	22421
कुल	**280549**	**233465**	**514014**	**51284**	**41960**	**93244**

2.2.4 अध्यापक संख्या

वर्ष 2018–19 में उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार रही:–

प्रबन्ध	पुरूष	महिलाएं	कुल
राजकीय	12538	11145	23683
अराजकीय (अन्य)	9750	6310	16060
कुल	**22288**	**17455**	**39743**

(नोटः–इस अध्याय में दर्शाए गए विद्यालयों की संख्या, छात्र संख्या तथा अध्यापकों की संख्या MIS Data व यू–डाईज डाटा (U-DISE Data) से ली गई है)

अध्याय तीसरा

शिक्षा का बजट

3.1 माध्यमिक शिक्षा का बजट

वर्ष 2018–19 में माध्यमिक शिक्षा पर निम्नानुसार राशि व्यय की गई:–

(रूपये लाखों में)

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	बजट अनुमान वर्ष 2018–19	वास्तविक व्यय 2018–19
पार्ट–I स्टेट स्कीम (स्टेट शेयर स्कीम)	368563.04	321803.72
पार्ट– II स्टेट शेयर	47669.25	21722.18
पार्ट–II एवं III सैन्टर शेयर	31843.00	23399.59
कुल	**448075.29**	**366925.49**

3.2 विद्यालय भवनों का निर्माण/मरम्मत

3.2.1 निर्माण शाखा में राजकीय विद्यालय भवनों के लिए निर्माण/मुरम्मत एवं रख रखाव तथा नये विद्यालय भवनों से सम्बन्धित मामलों का निपटान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूलभूत सुविधाओं तथा पेय जल सुविधाएं, शौचालय पर्याप्त, अध्ययन कक्ष, चार दीवारी निर्माण एवं विभिन्न कार्य उपयुक्त प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयों सम्बन्धी निर्माण के कार्य भी करवाये जाते हैं। वित्त वर्ष 2018–19 में नॉन रैकरिंग/रैंकरिंग पक्ष पर स्वीकृत 6800.00 लाख रूपये की राशि से 688 विद्यालयों में भवन निर्माण/मुरम्मत/चार दीवारी/नये कमरों के निर्माण के कार्य हेतु राशि अलॉट की गई तथा नॉन प्लान पक्ष पर स्वीकृत बजट 62,97,85,682/– रूपये की राशि से 688 विद्यालयों में भवन निर्माण/मुरम्मत/चार दीवारी/नये कमरों तथा अन्य कार्य करवाने हेतु राशि आबंटित की गई।

3.2.2 शीर्ष 4202 से लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) हरियाणा को 67 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के नव निर्माण/अतिरिक्त कमरों की मांग हेतु 13555.48 लाख रूपये की राशि में से 13555.48 लाख रूपये की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 118 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के नव निर्माण/अतिरिक्त कमरों की मांग के लिए 13555.48 लाख रूपये की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को भेजकर निर्माण एजेंसी सर्व शिक्षा अभियान को स्थानांतरण करने हेतु भेजी गई है।

3.2.3 नॉन रैकरिंग पक्ष पर 408.35 लाख रूपयें का बजट प्रावधान था। राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के बिजली बिलों की अदायगी हेतु 21 जिला शिक्षा अधिकारियों की मांग अनुसार राशि की वित्तीय स्वीकृत जारी की गई।

अध्याय चौथा

छात्रवृत्ति तथा अन्य वित्तीय सहायता

सुपात्र एवं सुयोग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा–प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग हरियाणा के द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी श्रेणियों के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के रूप में अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है जो इस प्रकार है :–

4.1 राजीव गांधी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत उच्च/वरिष्ठ विद्यालयों में पढ रहे मेधावी छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना :

वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 131.87 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी तथा इस राशि से 13789 छात्र/छात्रा लाभावित्त हुये। वर्ष 2018–19 में इस स्कीम के अन्तर्गत केवल कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की गई थी।

4.2 पंजाबी मैरिट छात्रवृत्ति स्कीम कक्षा 11वीं व 12वीं :

इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2018–19 में 21,600/–रूपये की राशि व्यय की गई थी जिसके अन्तर्गत 24 छात्र/छात्रा लाभान्वित हुये।

4.3 हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने बारे कक्षा 11वीं एवं 12वीं :

इस स्कीम के तहत उन सभी छात्र/छात्राओं को वर्ष 2014–15 से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है जिन्हें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक बोर्ड परीक्षा कक्षा दसवीं में न्यूनतम 95 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 के लिये 12.03 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी, जिसके अन्तर्गत 673 छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

4.4 एक मुश्त भत्ता स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना :

वर्ष 2018–19 में 2847.96 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी जिसके अन्तर्गत 196412 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये।

4.5 मासिक छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना :

वर्ष 2018–19 में 6925.56 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी जिसके अन्तर्गत 183962 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये।

4.6 नेशनल टैलेंट सर्च छात्रवृत्ति स्कीम कक्षा 11वीं एवं 12वीं – (सी0एस0एस0 प्लान) :

इस योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2018–19 के लिए भी 13.56 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी। इस स्कीम को निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, हरियाणा, गुरूग्राम द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में स्कीम के अन्तर्गत 27843 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये।

4.7 नैशनल–मीन्स–कम मैरिट छात्रवृत्ति स्कीम कक्षा 9वीं से 12वीं (सी0एस0एस0 प्लान) :

यह स्कीम निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, हरियाणा, गुरूग्राम द्वारा संचालित की जा रही है। संचालित की जाने वाली परीक्षा के लिए वित्त वर्ष 2018–19 के लिए स्कीम के अन्तर्गत खर्चे हेतु 5.92 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में 12138 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये।

4.8 मासिक छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे बी0पी0एल0/बी0सी0–ए के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना :

वर्ष 2018–19 में बी0पी0एल0 वर्ग स्कीम के लिए 427.25 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी जिसके अन्तर्गत 29851 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये।

वर्ष 2018–19 में बी0सी0–ए वर्ग स्कीम के लिए 2490.22 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी, जिसके अन्तर्गत 183705 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये।

4.9 स्वतन्त्रता सेनानियों के पौत्र–पौत्रियों एवं दौहता–दौहतियों को मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करने बारे :

वर्ष 2018–19 में 1.49 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी जिससे 70 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये।

4.10 कक्षा 9वीं व 11वीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं को मुफ्त साईकिलें उपलब्ध करवाना :

इस स्कीम में वर्ष 2018–19 के लिए 443.65 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी। स्कीम में वर्ष 2018–19 में 18641 छात्र/छात्राओं को मुफ्त साईकिलें उपलब्ध करवाई गई थी जिनकी रिपोर्ट केवल 15 जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त हुई है। अन्य जिला शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट अभी वांछित है।

अध्याय पांचवां

अन्य योजनाएं

5.1 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना (आई0सी0टी0 स्कीम)

आई0सी0टी0 स्कीम 2617 विद्यालयों में –

यह केन्द्रिय प्रायोजित योजना 60:40 के अनुपात में केन्द्र व राज्य द्वारा पोषित है। आई0सी0टी0 योजना लागू करने के लिए विभाग द्वारा कम्पयूटर फैकेल्टी व प्रयोगशाला सहायकों को जिन्हें पूर्व में प्राईवेट सेवाप्रदाताओं द्वारा तैनात किया गया था, उन्हें 31.03.2016 तक अपने अधीन वर्क आर्डर आधार पर नियुक्त कर लिया गया जिसे दिनांक 31.05.2016 तक दो मास के लिए ओर बढ़ा दिया गया है। इसके उपरान्त इन सभी को अपने पदों से हटा दिया गया। हरियाणा सरकार द्वारा फिर निर्णय लिया गया कि बच्चों को कम्पयूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए कम्पयूटर फैक्लटी व लैब सहायकों को मार्च 2017 से मई 2017, जुलाई 2017 से मई 2018 व जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक फिर से उसी पद व वेतन पर लगाया गया।

स्कीम के तहत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2018–19 में 48.00 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई और विभाग द्वारा 32,39,99,498 रूपये कम्पयूटर फैक्लटी व लैब सहायकों के वेतन, 1,65,71,413 रूपये broadband connection, 3,89,62,500 रूपये जेनरेटरस के लिए डीजल हेतु व 13,06,000 रूपये Hartron को Computer Teachnical evaluation के लिए खर्च किए गये।

5.2 समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS)

(i) खेल एवं एक्सपोजर यात्रा

- समावेशी शिक्षा के अध्ययनरत दिव्यांग छात्र–छात्राओं हेतु ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन साहसिक और प्रकृति अध्ययन शिविर जून और अक्टूबर, 2018 में राष्ट्रीय साहसिक क्लब, चण्डीगढ़ और हरियाणा पर्यटन के सहयोग से पूरा किया गया। इन कैम्पों में ग्रीष्मकालीन शिविर के अन्तर्गत 525 दिव्यांग छात्रों तथा शीतकालीन शिविर के अन्तर्गत 250 दिव्यांग छात्रों द्वारा भाग लिया गया।
- 17वीं अंजलि इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल : जिला जीन्द के 14 प्रतिभागियों की एक टीम द्वारा भुवनेश्वर (उड़ीसा) में नवम्बर, 2018 में आयोजित अंजलि इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल में भाग लिया गया। जिसमें उन्हें विज्ञान कार्यशाला में बैलेंसिग खिलौने बनाने के लिए पहला स्थान तथा शास्त्रीय नृत्य में दूसरा स्थान मिला।
- सभी जिलों में जिले स्तर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई तथा जिन दिव्यांग छात्रों ने इस प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया, उन्हें विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय

और अधिकारिता विभाग, हरियाणा के सहयोग द्वारा कुरूक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में शामिल किया गया।

(ii) **चिकित्सा मूल्यांकन शिविर :**

नेशनल हेन्थ मिशन (एन0एच0एम0) के सहयोग द्वारा सभी जिलों में चिकित्सा मूल्यांकन शिविर सितम्बर और अक्टूबर, 2018 माह में करवाये गये। इन शिविरों में 15200 दिव्यांग छात्रों ने भाग लिया जिसमें इन दिव्यांग छात्रों की शारीरिक जांच की गई तथा चिकित्सकों द्वारा दिव्यांग छात्रों को उपयुक्त सहायक उपकरणों/सुधारात्मक सर्जरी हेतु चिन्हित किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधियों ने भी इस शिविरों में भाग लिया और दिव्यांग छात्रों को विभिन्न लाभ प्रदान किये।

(iii) **अनुरक्षण भत्ता :**

सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तथा 9 से 12 में अध्ययनरत 4745 (2711+2034) दिव्यांग छात्रों (सी0पी0/ए0टी0/एम0डी0/ब्लांइंड) को 200/– रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह के लिए अनुरक्षण भत्ते प्रदान किये गये।

(iv) **लड़कियों के लिए वजीफा :**

सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तथा 9 से 12 में अध्ययनरत 11824 (9114+2710) दिव्यांग छात्राओं को 200/–रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह के लिए वजीफा प्रदान किया गया।

(v) **ब्रेल बुक्स :**

सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तथा 9 से 12 में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों (दृष्टिबाधित) हेतु ब्रेल बुक्स के कुल 98 (66+32) सेट वितरित किए गये।

(vi) **पाठक भत्ता (Reader Allowance)**

सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तथा 9 से 12 में अध्ययनरत 342 (227+115) दिव्यांग छात्रों को 300/– रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 4 माह के लिए पाठक भत्ता प्रदान किया गया।

(vii) **सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना :**

सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तथा 9 से 12 में अध्ययनरत लगभग 2227 दिव्यांग छात्रों को ALIMCO द्वारा उपलब्ध करवाये गए सहायक उपकरणों द्वारा लाभांवित किया गया।

(viii) **पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम :**

पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम के तहत सभी 119 संसाधन कक्षों में खण्ड स्तर पर दिव्यांग छात्र–छात्राओं के अभिभावकों के लिए परामर्श शिविर का आयोजन नवम्बर माह, 2018 किया गया, जिसमें लगभग 5500 प्रतिभागियों (दिव्यांग छात्रों के माता–पिता

सहित/एस.एम.सी. सदस्य/सामान्य शिक्षकों/बीआरसी–कम–प्रधानाचार्य) द्वारा भाग लिया गया। यह परामर्श शिविर निम्नलिखित चार विषयों पर आधारित था :–

✓ आर0पी0डब्लयू0डी0 एक्ट, 2016 के नये अधिनियम बारे जागरूक करना।

✓ दिव्यांग छात्रों के जीवन में चिकित्सा का महत्व।

✓ दिव्यांग छात्रों की शिक्षा में, समुदाय के सदस्यों की भूमिका।

✓ दिव्यांग छात्रों के बीच पुनर्वास का महत्व।

(ix) **गृह आधारित भत्ता :**

गृह आधारित भत्ता कक्षा 1 से 8 तथा 9 से 12 में अध्ययनरत गंभीर और गहन विकलांगता वाले 1318 (918+400) दिव्यांग छात्राओं को 200/–रूपये प्रति दिव्यांग छात्र के हिसाब से वितरित किया गया।

(x) **दिव्यांग छात्रों (कम–दृष्टिबाधित) को बड़ी प्रिन्ट पुस्तकें :**

सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत 841 दिव्यांग छात्रों तथा 9 से 12 में अध्ययनरत 413 दिव्यांग छात्रों (कम–दृष्टिबाधित) को बड़े प्रिन्ट वाली पुस्तकें वितरित की गई।

(xi) **उपकरणों और टीएलएम के अन्तर्गत दिव्यांग छात्रों के लिए सहायक उपकरणों एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना :**

राज्य के 22 जिलों में खण्ड स्तर पर बौद्धिक अक्षमता वाले दिव्यांग छात्रों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय संस्थान (NIEPID) द्वारा टीचिंग लर्निंग मटीरियल (टीएलएम) के तहत 238 किट प्रदान किये गये।

(xii) **जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम :**

हरियाणा राज्य के 22 जिलों में कक्षा 3 से 12 में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों हेतु जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 1 व 2 फरवरी, 2019 को करवाया गया। सभी कार्यक्रम/गतिविधियां तीन समूहों कक्षा 3 से 6, 6 से 8 तथा 9 से 12 में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों हेतु आयोजित की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्रों ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया।

(xiii) **राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम :**

राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम जीन्द जिले में 9 फरवरी से 11 फरवरी 2019 को आयोजित करवाया गया। इन प्रतियोगिताओं में जिले स्तर पर खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय एंव तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्रों द्वारा भाग लिया गया। जिला सिरसा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का समग्र विजेता बना। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुल 2700 प्रतिभागियों (1940 दिव्यांग छात्र, 347 स्पेल बी और 413 योग प्रतियोगिता) ने भाग लिया।

(xiv) **विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण :**

एस0सी0ई0आर0टी0 गुरूग्राम द्वारा हरियाणा के विशेष शिक्षकों को इन–सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए गए :

- ✓ 150 विशेष शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन पर 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ✓ विशेष ओलंपिक भारत के तहत खेल पर विशेष शिक्षकों के लिए 3 दिन का आवासीय प्रशिक्षण।
- ✓ दिव्यांग छात्रों को करियर काउंसलिंग पर विशेष शिक्षकों के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ✓ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सामान्य शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन पर 6 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ✓ लर्निंग डिसेबिलिटी पर विशेष शिक्षकों के लिए 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ✓ समावेशी शिक्षा पर विशेष शिक्षकों के लिए 3 दिन बहु श्रेणी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5.3 आरोही स्कूल :

भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर वित्त वर्ष 2011–12 में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों में 36 आरोही मॉडल स्कूलों को खोलने की योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े खण्डों के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में चलाई गई थी परन्तु भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2015–16 में इस योजना से अपने आप को अलग कर लिया। तत्पश्चात राज्य सरकार ने यह स्कीम स्टेट प्लान के अन्तर्गत शामिल कर ली। राज्य सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2018–19 में कुल 60 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की। अब तक इन विद्यालयों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे, 36 कम्पयूटर लैब और डिजिटल बोर्ड लगाकर 202 स्मार्ट कक्षा–कक्ष, साईंस प्रयोगशाला उपकरण, आर0ओ0 तथा वॉटर कूलर स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त आरोही स्कूलों में अध्यापकों ही कमी को पूरा करने के लिए 120 पी0जी0टी0 की भर्ती वर्ष 2018 में की गई।

5.4 मुख्यमंत्री सौन्दर्यकरण योजना :

विद्यार्थियों में स्वच्छता व स्वच्छ वातावरण जागरूक करने बारे मुख्यमंत्री स्कूल सौन्दर्यकरण योजना वर्ष 2011–12 में आरम्भ की गई थी। इस योजना से विद्यालय सौन्दर्यकरण के अन्तर्गत खण्ड स्तर पर प्रथम आने वाले राजकीय उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 50,000/–रूपये प्रति उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को तथा खण्ड स्तर पर चयनित विद्यालय में से जिला स्तर पर प्रथम आने वाले विद्यालयों को 1,00,000/–रूपये की राशि प्रदान की जाती है। राज्य के कुल 280 विद्यालयों को वित्त वर्ष

2018–19 में 171.00 लाख रूपये की राशि जिला शिक्षा अधिकारियों को सौन्दर्यकरण योजना के तहत पुरस्कार विजेता स्कूलों को वितरित करने हेतु जारी की गई थी।

5.5 अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम :

केन्द्रीय प्रायोजित अध्यापक शिक्षा प्रोग्राम के तहत चार जिलों (मेवात, फतेहाबाद, पलवल व झज्जर) में एक–एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कार्यन्वित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 2 खण्ड शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान मेवात व फतेहाबाद में अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कार्यन्वित किये गये हैं। यह खण्ड (जिले) भारत सरकार द्वारा ही चिन्हित किये गये हैं। इन संस्थानों के भवन निर्माण आदि कार्यो हेतु 1498.76 लाख रूपये का खर्च होना है जिसमें से 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। इसके अतिरिक्त इन डी0आई0ई0टी0 व बी0आई0टी0ई0 के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा 870.87 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि ज़ारी की गई है।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की दिशा निर्देश अनुसार सभी जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान (डी0आई0ई0टी0) तथा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद् (एस0सी0ई0आर0टी0) की पुनः संरचना करते हुए सभी सात विभाग कार्यन्वित कर दिये गये हैं। राज्य में अच्छे व्यवसायिक अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा भविष्य की मांग को पूरा करने हेतु बेहतर वेतनमान व शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षक अध्यापकों का नया कैडर बनाया गया है इस नये कैडर को हरियाणा सरकार ने GSR 25/Const./Art/309/2014 (HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUN 10, 2014) JYST. 20,1936 SAKA) द्वारा अधिसूचित किया है।

झज्जर में राज्य स्तरीय अध्यापक शिक्षण संस्थान, जो कि राष्ट्रीय स्तर के मानकों अनुसार है, खोला गया है जिसमें 4 वर्षीय एकीकृत बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0काम0 तथा बी0एड0 का कोर्स शुरू किया गया है। इस संस्थान हेतु वर्ष 2018–19 के लिए 500 लाख रू0 की राशि ग्रांट इन एड तथा 2000 लाख रूपये की राशि नई ईमारत के लिए जारी की गई है।

एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुरूग्राम व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी0आई0ई0टी0) द्वारा वर्ष 2018–19 में, शिक्षकों के व्यवसायिक विकास हेतु, लगभग 20000 शिक्षकों (जे0बी0टी0, टी0जी0टी0, पी0जी0टी0, स्कूलों के मुख्याध्यापकों व प्रधानाचार्यो) को प्रशिक्षण दिया गया है।

5.6 ई–गवर्नेन्स स्कीम/आई0टी0 सैल :

ई–गर्वनेन्स योजना के अन्तर्गत निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद्, जिला प्राथमिक शिक्षा संस्थान, राजकीय प्राथमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान इत्यादि में कम्पयूटरीकरण, स्वचालन, जुड़ाव और नेटवर्क शामिल है। वित्तीय वर्ष 2018–19

में ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत 485.00 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान मुख्य लक्ष्य निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में नया हार्डवेयर लगाना, पुराने हार्डवेयर को बदलना तथा सॉफटवेयर का ऊपरीकरण करना है। ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत अन्य गतिविधियों में वेबसाईट ऊपरीकरण, पोर्टल व सॉफटवेयर का ऊपरीकरण करना तथा लीज लाईन उपलब्ध करवाना शामिल है। नेटवर्किंग, सांख्यिकीय आंकड़ों के ऊपरीकरण तथा निदेशालय के कर्मचारियों को कम्पयूटर शिक्षा प्रदान करने से निदेशालय की कार्यकुशलता में काफी सुधार हुआ है।

वर्ष 2018–19 के दौरान निम्न कार्य किए गये हैं :–

1. सरकार के निर्णय अनुसार सभी आहरण व वितरण अधिकारियों को 5335 डिजीटल सिग्नेचर फार फलाईंग युजिंग ई0टोकन प्रदान किए गए हैं।
2. निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालय के बीच सामन्जस्य और जल्दी बढाने हेतु Full HD Vedio Conferencing System लगाया गया जिससे क्षेत्रीय कार्यालय एक साथ निदेशालय के साथ जुड़ सकते है और अपनी उपलब्धि और समस्याएं एक स्थान पर बिना कार्यालय का कार्य बाधित हुए अपने स्थान पर बैठे–2 निदेशालय को बता सकते हैं तथा निदेशालय भी अपनी किसी भी योजना को तुरंत Vedio Conferencing के जरिये क्षेत्रीय कार्यालयों को Communicate कर सकता है।
3. 3 ऑल–इन–वन, 1 के0वी0ए0 (यू0पी0एस0), 27 प्रिन्टर, एक 15 के.वी.ए. ऑनलाईन यू0पी0एस0, 85 डैस्कटॉप कम्पयूटर, 2 लैपटॉप, 2 हैवी डयूटी प्रिन्टर, 1 एप्पल मैकबुक मुख्यालय हेतु खरीद किए गये।
4. 25 कम्पयूटर (डैस्कटॉप), दो 15 के.वी.ए. (यू0पी0एस0), एक प्रिन्टर एस.सी.ई.आर.टी. गुरूग्राम हेतु खरीद किए गये।
5. 2 कम्पयूटर (21X2=42), 21 प्रिन्टर (21X1=21), 21 यू0पी0एस0 (21X1=21) प्रत्येक जिले के मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगाये गये।
6. निदेशालय में कार्यरत तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अमले को समय–2 पर कम्पयूटर बारे ट्रेनिंग दी गई है।
7. डाईट महेन्द्रगढ़ में स्मार्ट क्लास रूम प्रोजेक्ट हेतु इन्टरनेट लीज लाईन प्रदान की गई और डाईट गुरूग्राम में स्मार्ट क्लास रूम प्रोजेक्ट हेतु Highly Secure CISCO router लगाये गये।
8. Internet lease line की Maintenance और Renewal करवाई गई।
9. Teacher Transfer के लिए बनाए गये Portal को ओर भी सुगम व User Friendly बनाने के लिए तथा इसके इस्तेमाल में समस्या आने पर उसके निराकरण हेतु निदेशालय स्तर पर Customer Care & Support Centre स्थापित किया गया।

5.7 खेल–कूद :

वर्ष 2018–19 में 33 राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन निदेशालय स्तर पर करवाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2018–19 में अभी तक हरियाणा ने राष्ट्रीय स्कूल

खेल प्रतियोगिता में 154 स्वर्ण, 115 रजत एंव 127 कांस्य पदक (कुल 396 मैडल) प्राप्त किए हैं। हरियाणा राज्य ने 2018–19 में राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया है। Khelo India Youth Games, Pune 2018-19 में आयोजित खेलों में भी हरियाणा राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता हेतु राज्य सरकार द्वारा 150.00 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त खेल उपकरण की खरीद तथा खेल के मैदानों के निर्माण हेतु 200 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

5.8 बुक बैंक :

वर्ष 2018–19 में राज्य के सरकारी उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु 120.00 (प्लॉन) लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया था। जोकि संबंधित मद पर खर्च करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों को अलॉट की गई थी। वह राशि सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2018–19 में 120.00 लाख रूपये का अतिरिक्त बजट जिला नूंह के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों हेतु पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए प्रावधान किया गया था जोकि खर्च किया जा चुका है।

5.9 एडवेंचर कार्यक्रम एवं कैम्पिंग :

एडवेंचर कार्यक्रम एवं कैम्पिंग के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र में स्थित मित्रता शिखर 5289 मीटर पर दो पर्वतारोहण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें राज्य भर से प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक भाग लिया।

समर एवं विंटर एडवैंचर कैंपों का आयोजन कमशः ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान तथा अक्तूबर मास में मनाली (हिमाचल प्रदेश) में नैशनल एडवैंचर कल्ब (इंडिया) चंडीगढ़ और हरियाणा टूरिजम कार्पोरेशन के सहयोग से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के 9वीं से 12वीं कक्षाओं के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए किया गया। जिनमें विभिन्न हल्की साहसिक गतिविधियों जैसे चट्टानों की चढ़ाई, रस्सी के द्वारा चट्टानों से उतरना, नदी पार करना, राईफल शूटिंग, निशानेबाजी, लोक नृत्य और गायन, पर्वतारोहण कार्यक्रम आदि का आयोजन किया गया। इन सभी शिविरों में प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक भाग लिया। निदेशालय से विभिन्न अधिकारियों ने समय–समय पर कैंप का निरीक्षण किया।

समुद्रतटीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय शिक्षा विभाग केरल के सहयोग से चेरथल्ला (केरल) में शरदकालीन अवकाश के दौरान किया गया, जिसमें प्रदेश के राजकीय विद्यालयों से मेधावी छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत समुद्रतटीय ट्रैकिंग, केरल की सांस्कृतिक धरोहर, समुद्रतटीय क्षेत्रों की वनस्पतियों व जीवन शैली का अध्ययन, सांस्कृतिक एवं भाषाई आदान प्रदान मंच, केरल की शैक्षणिक प्रणाली का अवलोकन आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया।

5.10 विद्यार्थी कानूनी साक्षरता कार्यक्रम :

कानूनी साक्षरता प्रतियोगिताएं खण्ड स्तर पर, जिला स्तर पर तथा मण्डल स्तर पर आयोजित की गई, जिनमें राज्य के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने मानवाधिकार, मौलिक कर्तव्य, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, परित्यक्त महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सुरक्षा एक्ट 2005, दहेज उन्मूलन, नशा मुक्ति, कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह, रैगिंग, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण एवं जागरूकता, वित्तीय साक्षरता, कानूनी दिशाएं, पुलिस पब्लिक सहयोग, स्वच्छता आदि विषयों पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे – निबन्ध लेखन, स्लोगन लेखन, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, भाषण, वाद–विवाद, कविता वाचन, पावर प्वाईंट प्रेजेन्टेशन, सामाजिक विषयों पर डोक्यूमैंटरी आदि प्रतियोगिताएं करवाई गई।

5.11 स्काउट एवं गाईड कार्यक्रम :

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु स्काउट एवं गाईड कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों व अन्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु 355.00 लाख रूपए की राशि अनुदान के रूप में हरियाणा राज्य भारत स्काउट एवं गाईड एसोसिएशन व हिन्दुस्तान स्काउट एवं गाइड एसोसिएशन को राज्य के विभिन्न स्कूलों में स्काउट, गाईड, कब एवं बुलबुल की गतिविधियों के व्यापक प्रसार हेतु उपलब्ध करवाई गई। जो कि शत प्रतिशत राशि खर्च कर ली गई। इसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के 12 लाख विद्यार्थी लाभांवित हुए।

5.12 विद्यार्थी मूल्यांकन परीक्षाएँ :

नो डिटेंशन पॉलिसी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पहली से बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी मूल्यांकन परीक्षाएँ शुरू की गई जिसके तहत सभी विद्यालयों के 20 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त उत्तर पंजिका भी उपलब्ध करवाई गई है ताकि इन परीक्षाओं के मूल्यांकन में एकरूपता लाई जा सके। बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम सुधारने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए प्री–बोर्ड परीक्षा का आयोजन भी किया गया।

5.13 स्वर्ण जयन्ती फलैगशिप कार्यक्रम :

हरियाणा राज्य के गठन की स्वर्ण जयन्ती को ध्यान में रखते हुए समूचे शैक्षणिक वातावरण को आकर्षक, ज्ञानवर्धक एवं चरित्र निर्माण आधारित बनाने तथा शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करने के उद्देश्य से विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा स्वच्छ प्रांगण, सुगम शिक्षा एवं सुसंस्कार नाम से फलैगशिप कार्यक्रम चलाए गए। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नोक्त है :–

क) स्वच्छ प्रांगण कार्यक्रम के तहत सभी स्कूलों में ईको क्लबों को सक्षम बनाने एवं विद्यालय प्रांगण को साफ–सुथरा रखने के लिए Multipurpose Worker हेतु प्रावधान किया गया।

ख) सुगम शिक्षा के तहत विभिन्न विद्यालयों में रिक्त पदों पर सेवानिवृत शिक्षकों की सेवाएं उपलब्ध करवाई गई।

ग) सुसंस्कार कार्यक्रम को "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान के साथ जोड़ते हुए विभाग द्वारा कई अद्वितीय पहल की गई। "बेटी का सलाम, राष्ट्र के नाम" पहल के अन्तर्गत सभी विद्यालयों में स्वतन्त्रता दिवस समारोहों एवं गणतन्त्र दिवस समारोहों के अवसर पर गाँव की सर्वाधिक शिक्षित बेटी को ध्वजारोहण हेतु मुख्य अतिथि और नवजन्मी बालिकाओं की माताओं को उक्त कार्यक्रमों में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

5.14 Super 100

सुपर 100 कार्यक्रम विभाग की एक अनूठी पहल है। इसके अन्तर्गत राज्य के कुल चयनित मेधावी विद्यार्थियों को जिला रेवाड़ी व पंचकूला में IIT-JEE/NEET की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। विद्यार्थियों को निःशुल्क रहने व खाने की सुविधा भी विभाग द्वारा दी जा रही है।

5.15 Establishment of 310 English Medium School

राज्य के चयनित 310 विद्यालयों की कक्षा 9वीं में एक सैक्शन अंग्रेजी माध्यम का शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान और गणित विषय में रूचि उत्पन्न करना है ताकि इन विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में विज्ञान विषय पढ़ने में दिक्कत न आए क्योंकि 11वीं और 12वीं कक्षा में Medical और Non Medical संकाय अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाए जाते हैं।

5.16 विज्ञान कार्यक्रम को बढ़ावा देना

विज्ञान आज की शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकारी विद्यालयों के लिए विज्ञान संवर्धन योजना चलाई गई है। अब तक इस योजना का मुख्य उद्देश्य विज्ञान प्रयोगशालाओं को समर्थ बनाना रहा है। सभी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान की पृथक प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं।

5.17 Co-curricular Activities

हरियाणा की आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन तंत्र को बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग सांस्कृतिक मूल्यों, लोक कला, विरासत और समाज के रीति रिवाजों को मजबूत करने पर केन्द्रित है। सांस्कृतिक उत्सव 2018 के अन्तर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमें नृत्य, नाटक, संगीत और कला के क्षेत्र को शामिल किया गया। कला एवं संस्कृति विभाग के साथ मिलकर सह पाठ्यक्रम पर आधारित Summer Camps का

आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य की लोक कला को बढ़ावा देने के लिए बाल रंग कार्यक्रम का हरियाणा राज्य में आयोजन किया गया। इसी बालरंग कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर जोकि भोपाल में आयोजित हुआ हरियाणा राज्य के राजकीय विद्यालय की टीम ने प्रथम पुरस्कार जीता। राज्य में कला और ड्राईंग शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। विद्यालयों में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए व अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगीत, वाद्य यंत्र व वेशभूषा के लिए वित्तीय अनुदान भी दिया गया। बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर गाँव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी बेटी द्वारा विद्यालयों में 'बेटियों का सलाम राष्ट्र के नाम' कार्यक्रम कें अन्तर्गत ध्वजारोहण करवाया गया तथा दिव्यांग बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँव की दिव्यांग बेटी द्वारा गणतन्त्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करवाया गया।

अध्याय छठा

अन्य शाखाओं द्वारा किए गए कार्य

निदेशालय की अन्य शाखाओं द्वारा वर्ष 2018–19 की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए।

6.1 प्रशासन शाखा

A) वर्ष 2018–19 के दौरान 39 सुख सहायक तथा 22 लिपिकों की नियुक्तियां की गई एवं श्रेणी–ए, बी, सी तथा डी के ड्राफ्ट नियम बनाये गए तथा सरकार द्वारा जारी हिदायतों/आदेशानुसार विशेष अभियान चलाया गया जिसमें स्थापना से सम्बन्धित कार्य जैसे कि ए0सी0पी0, लोन, पैन्शन तथा पदोन्नति आदि सम्बन्धित कार्य निपटाए गए।

6.2 एच0आर0एम0ई0–I

1. अप्रैल 2018 में 743 नव नियुक्त लिपिकों को नियुक्ति प्रदान की गई।
2. जुलाई 2018 में 92 नव नियुक्ति लिपिकों को नियुक्ति प्रदान की गई।
3. नवम्बर 2018 में 65 लिपिकों को सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया।

मिसल न0 5/94–2005 श्री संजीव कुमार चौपड़ा मामले में जांच विजिलैंस विभाग को दी गई है परन्तु जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

6.3 पैंशन

पैंशन–II शाखा में अराजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय से सेवानिवृत कर्मचारियों के पैंशन मामलों का निपटान किया जाता है। वर्ष 2018–19 में जिला शिक्षा अधिकारियों से जितने भी पैंशन संशोधित मामले प्राप्त हुये हैं उनका निपटान समय पर कर दिया गया है। इस वित्त वर्ष में लगभग 90 नये तथा 600 पैंशन संशोधन के मामले सेवानिवृत कर्मचारियों के प्राप्त हुये थे उनका भी समाधान कर दिया गया है। सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत कर्मचारियों को पैंशन तथा पैंशन एरियर देने के लिए सरकार से 65,00,00,000/–रू0 बजट प्राप्त हुआ था। जिसकी लगभग पूर्ण राशि को खर्च कर लिया गया है तथा इस अवधि में जितने कोर्ट केस माननीय उच्च न्यायालय में दायर किए गये थे सभी का जवाबदावा समय पर न्यायालय में दायर कर दिया गया है तथा जितनी भी शिकायतें सी0एम0 विन्डों के माध्यम से पैंशन–II शाखा में प्राप्त हुई थी लगभग उन सभी का निपटान भी कर दिया गया है। सी0ग्राम के सभी मामलों का निपटान भी कर दिया गया है।

6.4 तालमेल–1

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान तालमेल शाखा द्वारा 01 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तथा 32 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गये।

6.5 एडिड स्कूल

1. गुरूकुल पाठशालाओं को Grant in aid scheme के तहत 25.00 लाख रूपये की राशि बांटी गई।

2. राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को सैलरी एवं ग्रैच्युटी की राशि Grant in aid scheme के तहत 30.00 करोड़ रूपये की राशि बांटी गई।
3. शाखा में 53 सी0एम0 विन्डों तथा 108 आर0टी0आई0 एक्ट 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 50 सी0एम0 विन्डों और 105 आर0टी0आई0 के प्रार्थना पत्रों का निपटान किया गया।

6.6 पी0जी0टी0–II

वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित Heads के अन्तर्गत सभी मामलों का निपटान यथा अवधि के भीतर किया गया :–

1. Promotion Cases
2. Seniority /Transfer Cases
3. CCL Sanction
4. Medical Reimbursement

6.7 एच0आर0जी0–I

1. मेवात कॉडर में 49 प्रधानाचार्य के पद पर (मुख्याध्यापक तथा प्रवक्ता से) पदोन्नति की गई।
2. शेष हरियाणा कॉडर में 118 प्रधानाचार्य के पद पर (मुख्याध्यापक तथा प्रवक्ता से) पदोन्नति की गई।

अध्याय सातवां

राज्य चौकसी विभाग से सम्बन्धित सूचना

विषयांकित मामले में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा के पत्र क्रमांक 18911/गुप्त/रा.चौ.ब्यूरो.(ह.) दिनांक 05.12.2019 से प्राप्त सूचना के आधार पर अंकित किया जाता है कि वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी इस ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों पकड़े गये व उनके विरूद्ध मुकदमें दर्ज किए गए :–

क्र0 सं0	मुकदमा क्रमांक दिनांक व जेरधारा	विरूद्ध	छापा मारने की तिथि	घूस में ली गई राशि
1.	18 दिनांक 01.08.2018, धारा 7/13 पी0सी0 एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।	संजय सिंह, लिपिक, जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार	01.08.2018	40,000/–रूपये

निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमित जांचें दर्ज की गईः–

क्र0 सं0	जांच क्रमांक व दिनांक	विरूद्ध
1.	07 दिनांक 08.05.2018 सोनीपत	श्रीमती सुमन नैन, जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।
2.	03 दिनांक 08.05.2018 भिवानी	अधिकारी/कर्मचारी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
3.	06 दिनांक 19.07.2018 गुरूग्राम	शंकर शिक्षा यत्न ट्रस्ट, डी–6/25, बसंत विहार, नई दिल्ली।
4.	17 दिनांक 08.10.2018 पंचकूला	होशियार सिंह, प्राध्यापक, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रायपुर रानी जिला पंचकूला।
5.	08 दिनांक 09.10.2018 भिवानी	युद्धवीर, प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ विद्यालय, हनुमान ढाणी जिला भिवानी।
6.	11 दिनांक 05.12.2018 फतेहाबाद	कैलाश चन्द्र, डी0पी0ई0, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नहला जिला फतेहाबाद व अन्य।
7.	09 दिनांक 05.12.2018 भिवानी	अधिकारी/कर्मचारी, हरियाणा शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
8.	02 दिनांक 07.02.2019 सोनीपत	सुरेन्द्र मोर, खण्ड शिक्षा अधिकारी, राई जिला सोनीपत।

उपरोक्त अवधि के दौरान एक आपराधिक मुकदमा क्रमांक 05 दिनांक 04.02.2019 धारा 197, 198, 420, 120–बी व 13(2), 13(1)डी पी0सी0 एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार विरूद्ध सुरेन्द्र, जे0बी0टी0 अध्यापक, शेरपुरा, सिवानी, भिवानी के विरूद्ध दर्ज किया गया है।

(90)

माध्यमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 2019–20 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय पहला

प्रशासन एवं संगठन

1. ढांचा

1.1 सचिवालय स्तर पर

वर्ष 2019–20 में 01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिवालय स्तर पर ढांचा इस प्रकार रहा :–

शिक्षा मंत्री	अवधि
श्री रामबिलास शर्मा	01.04.2019 से 26.10.2019
श्री कंवरपाल	27.10.2019 से 31.03.2020

1.2 प्रशासनिक स्तर पर

नाम	पद	अवधि
श्री पी0के0 दास, आई0ए0एस0	अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग	01.04.2019 से 02.07.2019
श्री महावीर सिंह, आई0ए0एस0	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग	03.07.2019 से 31.03.2020

1.3 निदेशालय स्तर पर

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा के पद पर डॉ0 राकेश गुप्ता, आई0ए0एस0 दिनांक 01.04.2019 से 13.08.2019, इनके उपरान्त डॉ0 बलकार सिंह, आई0ए0एस0 दिनांक 09.09.2019 से 03.12.2019 तथा श्रीमती अमनीत पी0 कुमार, आई0ए0एस0 दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2020 तक कार्यरत थे।

1.4 अन्य अधिकारीगण

वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित पदों पर नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए निदेशक महोदय को सहयोग दिया:–

माध्यमिक पक्ष

क्रमांक	पद का नाम	अधिकारियों की संख्या
1.	अतिरिक्त निदेशक प्रशासन (HCS)	02
2.	अतिरिक्त निदेशक शैक्षणिक	01
3.	संयुक्त निदेशक (IT)	01
4.	उप निदेशक शैक्षणिक	03
5.	उप निदेशक (IT)	01

6.	उप निदेशक विजिलैंस	01
7.	सहायक निदेशक	06
8.	मुख्य लेखा अधिकारी	00
9.	बजट अधिकारी (सै0)	01
10.	रजिस्ट्रार (सै0)	01
11.	जिला न्यायवादी	01
12.	उप जिला न्यायवादी	0
13.	सहायक जिला न्यायवादी	03
14.	अधीक्षक / उप अधीक्षक	14+11 = 25
15.	अनुसंधान अधिकारी	01
16.	प्रोग्रामर	04

1.5 जिला स्तर पर

राज्य के प्रत्येक जिले में विद्यालय का प्रशासन, नियंत्रण और विकास का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा – नीतियों को कार्यरूप देने में सहयोग करते हैं। जिलों में शिक्षा के विकास कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने खण्ड में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक उप जिला शिक्षा अधिकारी, एक विज्ञान परामर्शदाता, एक गणित परामर्शदाता तथा एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेल–कूद) भी नियुक्त हैं।

1.6 विद्यालय स्तर पर

सभी राजकीय उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासन मुख्य अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के द्वारा चलाया जाता है। सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने–अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के शैक्षिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी / विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

1.7 मान्यता प्राप्त विद्यालय

मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रशासन, सम्बन्धित प्रबन्धक समितियों द्वारा चलाया जाता है। ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं।

अध्याय दूसरा

2.1 उच्च स्तर की शिक्षा

राज्य में उच्च स्तर की शिक्षा कक्षा नौवीं और दसवीं में दी जाती है। इसके लिए राज्य में उच्च विद्यालय स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त नौवीं और दसवीं की कक्षाएँ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भी चलती हैं। राज्य में माध्यमिक शिक्षा सुविधा औसतन 1.32 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है।

2.1.1 उच्च विद्यालयों की संख्या

वर्ष 2019–20 में राज्य में उच्च विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी:–

प्रबन्ध	लड़कों व सहशिक्षा के लिए	लडकियों के लिए	कुल
राजकीय	965	173	1138
अराजकीय	2086	4	2090
कुल	**3051**	**177**	**3228**

2.1.2 छात्र नामांकन

रिपोर्टाधीन अवधि में उच्च विद्यालयों तथा उच्च स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार से रही:–

कक्षा 9वीं से 10वीं तक छात्र संख्या (वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों सहित)

प्रबन्ध	कुल छात्र (कक्षा 9वीं से 10वीं)			केवल अनुसूचित जाति के छात्र		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
राजकीय	184686	193498	378184	81646	84029	165675
अराजकीय	309390	194405	503795	33529	18575	52104
कुल	**494076**	**387903**	**881979**	**115175**	**102604**	**217779**

2.1.3 अध्यापक संख्या

वर्ष 2019–20 के दौरान उच्च विद्यालयों में तथा उच्च स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार रही :–

प्रबन्ध	पुरूष	महिलाएं	कुल
राजकीय	8490	5820	14310
अराजकीय (अन्य)	11232	11106	22338
कुल	**19722**	**16926**	**36648**

2.2 वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) स्तर की शिक्षा

राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं में दी जाती है। इसके लिए राज्य में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त मान्यता–प्राप्त अराजकीय

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी हैं। राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा सुविधा औसतन 1.72 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है।

2.2.1 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

वर्ष 2019–20 में राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार रही:–

प्रबन्ध	लड़कों व सहशिक्षा के लिए	लड़कियों के लिए	कुल
राजकीय	1875	335	2210
अराजकीय	3114	23	3137
कुल	**4989**	**358**	**5347**

2.2.2 विद्यालयों का स्तरोत्थान

1. वर्ष 2019–20 के दौरान 43 मिडल से वरिष्ठ माध्यमिक तथा 69 उच्च विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत किये गए।
2. वर्ष 2019–20 के दौरान 4 नये सीनियर सैकेण्डरी स्कूल खोले गए।

2.2.3 छात्र नामांकन

वर्ष 2019–20 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार रही:

कक्षा 11वीं से 12वीं तक

प्रबन्ध	कुल छात्र (कक्षा 11वीं से 12वीं)			केवल अनुसूचित जाति के छात्र		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
राजकीय	117255	128977	246232	39890	46170	86060
अराजकीय	176593	129523	306116	13682	10436	24118
कुल	**293848**	**258500**	**552348**	**53572**	**56606**	**110178**

2.2.4 अध्यापक संख्या

वर्ष 2019–20 में उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार रही:–

प्रबन्ध	पुरूष	महिलाएं	कुल
राजकीय	16916	11278	28194
अराजकीय (अन्य)	9760	6320	16080
कुल	**26676**	**17598**	**44274**

(नोटः–इस अध्याय में दर्शाए गए विद्यालयों की संख्या, छात्र संख्या तथा अध्यापकों की संख्या यू–डाईज डाटा (U-DISE Data) से ली गई है)

अध्याय तीसरा

शिक्षा का बजट

3.1 माध्यमिक शिक्षा का बजट

वर्ष 2019–20 में माध्यमिक शिक्षा पर निम्नानुसार राशि व्यय की गईः–

(रूपये लाखों में)

Directorate of Secondary Education	Budget Estimate 2019-20	Supplementary Estimates 2019-20	Modified Budget 2019-20	Tentative Expenditure 2019-20
Part-I State Scheme (2202-General Education) (02 Secondary Education)	373233.01	3012.00	376245.01	371265.69
(04-Adult Education)	68.00	--	68.00	--
Total	373301.01	3012.00	376313.01	371265.69
4202-Capital out lay on Education	23000.01	--	23000.01	--
2204-Sports and Youth Welfare (Part-I)	700.00	--	700.00	--
Part-II	10.00		10.00	
Grand Total	397001.02	3012.00	400013.02	371265.69
Part-II State Share	28748.00	--	28748.00	22156.75
Part-II Centre Share	27507.00	--	27507.00	21840.85
Part-III Centre Share (100%)	10.00	--	10.00	--
Total Centre Share (Part-II & III 100%)	27517.00	--	27517.00	21840.85
Total (Part-I, Part-II & Part-III)	453266.02	--	456278.02	415263.29

3.2 विद्यालय भवनों का निर्माण/मरम्मत

3.2.1 Non-Recurring (Maintenance/Repair/Construction) GHS/GSSS "2202-General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Buildings (99)/Addition and alterations in Govt. Schools (17) Minor works":- निर्माण शाखा में राजकीय विद्यालय भवनों के लिए निर्माण/मुरम्मत तथा रख रखाव तथा नये विद्यालय भवनों से सम्बन्धित मामलों का निपटान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूलभूत सुविधाओं तथा पेय जल सुविधाएं, शौचालय पर्याप्त, अध्ययन कक्ष, चारदीवारी निर्माण एवं विभिन्न कार्य उपयुक्त प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयों सम्बन्धी निर्माण के कार्य भी करवाये जाते हैं। वित्त वर्ष 2019–20 में नॉन रैकरिंग/रेंकरिंग पक्ष पर 7000.00 लाख रूपये की राशि का प्रावधान करवाया गया है। इस राशि से 914 विद्यालयों में भवन निर्माण/मुरम्मत/चारदीवारी/नये कमरों का निर्माण के कार्य करवाये गये है। वर्ष 2019–20 के लिए 25000.00 लाख रूपये की राशि का प्रावधान करवाया गया है।

3.2.2 4202 Capital (Plan) Sports, Art & Culture-01-General Education-202-Secondary Education- (99) Construction of Secondary School Building (Plan) Part-I State Plan Scheme:- शीर्ष 4202 से लोक

(95)

निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) हरियाणा को 40 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के नव निर्माण/अतिरिक्त कमरों की मांग हेतु 13000.00 लाख रूपये की राशि का प्रावधान करवाया गया है। व्यवस्थित राशि से कुल 52 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के नव निर्माण/अतिरिक्त कमरों की मांग से प्रशासकीय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को निर्माण एजेंसी सर्व शिक्षा अभियान को स्थानांतरण करने हेतु भेजी जायेगी।

3.2.3 **Electricity Non Plan- Major Head 2202 General Education-022 Secondary Education-109-Government Secondary Schools [99] Teaching Staff including other Establishments [98] Establishment expenses (Non Plan) 92 Energy Charges :-** नॉन रैंकरिंग पक्ष पर वित्त वर्ष 2019–20 में 500.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान करवाया गया है। इस राशि से राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के बिजली बिलों की अदायगी हेतु 22 जिला शिक्षा अधिकारियों की मांग अनुसार राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

अध्याय चौथा

छात्रवृत्ति तथा अन्य वित्तीय सहायता

सुपात्र एवं सुयोग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा–प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग हरियाणा के द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी श्रेणियों के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के रूप में अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है जो इस प्रकार है :–

4.1 राजीव गांधी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत उच्च/वरिष्ठ विद्यालयों में पढ रहे मेधावी छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना :

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 138.72 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी तथा इस राशि से 13876 छात्र/छात्रा लाभाविन्त हुये। वर्ष 2019–20 में इस स्कीम के अन्तर्गत केवल कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की गई थी।

4.2 पंजाबी मैरिट छात्रवृत्ति स्कीम कक्षा 11वीं व 12वीं :

इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2019–20 में 11,000/–रूपये की राशि व्यय की गई थी जिसके अन्तर्गत 12 छात्र/छात्रा लाभान्वित हुये।

4.3 हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने बारे कक्षा 11वीं एवं 12वीं :

इस स्कीम के तहत उन सभी छात्र/छात्राओं को वर्ष 2014–15 से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है जिन्हें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक बोर्ड परीक्षा कक्षा दसवीं में न्यूनतम 95 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के लिये 7.96 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी, जिसके अन्तर्गत 451 छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

4.4 **हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मुफ्त लैपटॉप प्रदान करने बारे** – स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के लिए 289.60 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी, जिसके अन्तर्गत 640 छात्रों/छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप प्रदान किए गये।

4.5 एक मुश्त भत्ता स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना :

वर्ष 2019–20 में 2682.96 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी जिसके अन्तर्गत 185029 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये।

4.6 मासिक छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना :

वर्ष 2019–20 में 4702.73 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी जिसके अन्तर्गत 344845 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये।

4.7 नैशनल टैलेंट सर्च छात्रवृत्ति स्कीम कक्षा 11वीं एंव 12वीं – (सी0एस0एस0 प्लान)

इस योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2019–20 के लिए भी 14.00 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी। इस स्कीम को निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, हरियाणा, गुरूग्राम द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में स्कीम के अन्तर्गत 25500 छात्र/छात्राएं लाभाविन्त हुए।

4.8 नैशनल–मीन्स–कम मैरिट छात्रवृत्ति स्कीम कक्षा 9वीं से 12वीं – (सी0एस0एस0 प्लान)

यह स्कीम निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, हरियाणा, गुरूग्राम द्वारा संचालित की जा रही है। संचालित की जाने वाली परीक्षा के लिए वित्त वर्ष 2019–20 के लिए स्कीम के अन्तर्गत खर्चे हेतु 5.00 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 12000 छात्र/छात्राएं लाभाविन्त हुए।

4.9 मासिक छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे बी0पी0एल0 के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना :

वर्ष 2019–20 में बी0पी0एल0 वर्ग स्कीम के लिए 239.28 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी जिसके अन्तर्गत 22791 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये।

4.10 मासिक छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे बी0सी0–ए के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना –

वर्ष 2019–20 में बी0सी0–ए वर्ग स्कीम के लिए 1952.16 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी, जिसके अन्तर्गत 193924 छात्र/छात्राएं लाभाविन्त हुए।

4.11 स्वतन्त्रता सेनानियों के पौत्र–पौत्रियों एवं दौहता–दौहतियों को मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करने बारे :

वर्ष 2019–20 में 0.59 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी जिससे 23 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये।

4.12 कक्षा 9वीं व 11वीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं को मुफ्त साईकिलें उपलब्ध करवाना :

इस स्कीम में वर्ष 2019–20 के लिए 376.00 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी। स्कीम में वर्ष 2019–20 में अनुमानित 12000 छात्र/छात्राओं को मुफ्त साईकिलें उपलब्ध करवाई गई थी जिनकी रिपोर्ट केवल 15 जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त हुई है।

98

4.13 छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना :

इस स्कीम में वर्ष 2019–20 के लिए 457.54 लाख रूपये की राशि व्यय की गई थी। स्कीम में वर्ष 2019–20 में अनुमानित 12000 छात्र/छात्राएं लाभावित्त हुए।

अध्याय पांचवां

अन्य योजनाएं

5.1 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना (आई0सी0टी0 स्कीम)

आई0सी0टी0 स्कीम – 2617 विद्यालयों में –

यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना 60:40 के अनुपात में केन्द्र व राज्य द्वारा पोषित है। आई0सी0टी0 योजना लागू करने के लिए विभाग द्वारा कम्पयूटर फैकेल्टी व प्रयोगशाला सहायकों को जिन्हें पूर्व में प्राईवेट सेवाप्रदाताओं द्वारा तैनात किया गया था, उन्हें 31.03.2016 तक अपने अधीन वर्क आर्डर आधार पर नियुक्त कर लिया गया जिसे दिनांक 31.05.2016 तक दो मास के लिए ओर बढ़ा दिया गया है। इसके उपरान्त इन सभी को अपने पदों से हटा दिया गया। हरियाणा सरकार द्वारा फिर निर्णय लिया गया कि बच्चों को कम्पयूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए कम्पयूटर फैक्लटी व लैब सहायकों को मार्च 2017 से 31 मई 2017 व जुलाई 2017 से मई 2018 व जुलाई 2018 से मई 2019 व जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक फिर से उसी पद व वेतन पर लगाया गया।

स्कीम के तहत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 में 52,42,19,025/–रू0 की राशि स्वीकृत की गई और विभाग द्वारा 51,97,53,425/–रू0 कम्पयूटर फैक्लटी व लैब सहायकों के वेतन, व 44,65,600/–रू0 San Media Ltd. को उनके बकाया बिल का भुगतान किया गया।

5.2 प्रशिक्षण प्रबंधन प्रकोष्ठ –

प्रशिक्षण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना 2018 में माध्यमिक शिक्षा निदशालय में एक स्वतन्त्र प्रकोष्ठ के रूप में की गई थी। बाद में इसे 'शिक्षक शिक्षा' के तहत रखा गया। टी0एम0सी0 को सौंपे गए कार्यो की प्रकृति यहां दी गई है।

5.2.1 एकीकृत वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना – विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा, एस0सी0ई0आर0टी0, बी0ओ0एस0ई0, एस0एस0ए0, डी0एस0ई0 (अकादमिक सेल, टी0एम0सी0, टी0ई0 आदि) और डी0ई0ई0 के तत्वावधान में कार्यरत विभिन्न एजेंसियां, समय–समय पर, शिक्षकों और सिस्टम स्तर के अधिकारियों (स्कूलों के प्रमुखों) के लिए विभिन्न क्षमता संबर्धन कार्यक्रम आयोजित करती है। खंड और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारी) (और कभी कभी विभाग के गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए भी), कई बार एक एजेंसी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अनुसूची अन्य एजेंसियों के साथ टकरा जाती है। इसलिए ऐसे सभी कार्यक्रमों को केन्द्रीय रूप से प्रबंधित करने की सख्त आवश्यकता थी ताकि इस तरह के अतिव्यापी या टकराव से बचा जा सके। अतः एकीकृत वार्षिक प्रशिक्षण कैंलेंडर (IATC) तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

5.2.2 **सभी एजेंसियों द्वारा आयोजित सभी प्रकार के प्रशिक्षणों का अवलोकन एंव परामर्श** (सभी संस्थान जो कि पैरा एक में उल्लिखित है)

जब तक किसी भी कार्यक्रम का सही प्रकार से अवलोकन न हो उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसके अतिरिक्त क्यूंकि शीर्ष अधिकारी सीधे ऐसे सभी कार्यक्रमों का दौरा नहीं कर सकते है, अतः इस हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एजेंसी का होना आवश्यक है, जो राज्य स्तर के शीर्ष अधिकारियों, जैसे DSE, DEE, ACS (SE) को समय–समय पर प्रगति के बारे में अवगत करा सकती है और आगे के सुधार के लिए उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है।

5.2.3 **गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन और रिपोर्टिंग** – 'मात्र नाम के लिए निगरानी'– किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है जब तक कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन गुणवत्ता के पूर्व–निर्धारित मापदंडों पर नहीं किया जाता है। इस प्रकार नियमित मूल्यांकन और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना अपरिहार्य हो जाता है। टी0एम0सी0 को गुणवत्ता में और सुधार के लिए सभी हितधारकों के साथ व्याख्यात्मक नोट्स के साथ और रिपोर्ट किए गए कार्य के वांछित परिणामों तक पहुंचने के लिए काम करने और रिपोर्ट सांझा करने का काम सौंपा गया है।

5.2.4 **संघ सरकार के साथ संपर्क करना** – ऐसे प्रशिक्षण, सेमिनार या कार्यशालाएं आयोजित करना जो स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत किसी अन्य एजेंसी की कार्य सूची में नहीं है।

MHRD (DSE & L), MHFW, NIEPA, NCERT, CIET, NCTE जैसी केन्द्रीय एजेंसियां अपने प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य मुख्यालय को लिखती है। इसलिए किसी शाखा को उनके साथ संपर्क करना चाहिए और योजना के प्रचार के लिए अपने समकक्षों को कार्य सौंपना चाहिए। इस मामले में कोई भी एजेंसी या शाखाएं ऐसा करने की स्थिति में नहीं है तो टी0एम0सी0 सीधे कार्यान्वयन का कार्य करती है, चाहे वह किसी भी कार्यशाला, कार्यक्रम, सेमिनार, जागरूकता अभियान आदि का आयोजन करना हो।

5.2.5 **प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार करना** – टी0एम0सी0 शैक्षिक महत्व के विभिन्न विषयों पर मॉडयूल भी तैयार करती है और संबंधित कर्मचारियों को उनकी क्षमता संबर्धन के लिए या नामित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से उन्हें वितरित भी करती है।

5.2.6 **स्थाई संसाधन समूह का गठन (शिक्षण एंव प्रशिक्षण कौशल संवर्धन कार्यशालाएं)** – विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा, गुणवत्तापरक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षकों, विद्यालय मुखियाओं, शिक्षा अधिकारियों व गैर–शैक्षिक कर्मचारियों के क्षमता संवर्धन के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षणों का आयोजन निरंतर करता रहता है। इसके अतिरिक्त नयी योजनाओं के सफल क्रियान्वन के लिए भी समय–2 पर कर्मचारियों तक योजना के क्रियान्वन की प्रक्रिया व लाभ आदि लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए भी कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक होता है। यह कार्य केवल कुशल प्रशिक्षक ही कर सकते है। यदि प्रशिक्षक वाक्–कला व शिक्षा विभाग के मूलभूत कार्यो, योजनाओं, कार्यप्रणाली एंव शिक्षाशास्त्र तथा बालमनोविज्ञान आदि की पर्याप्त जानकारी न रखते हो तो उनका प्रशिक्षण उतना प्रभावशाली नहीं होता। इस हेतु टी0एम0सी0

द्वारा दस दिवसीय कार्यशालाओं की एक लम्बी श्रंखला के आयोजन द्वारा राज्य व जिला स्तर पर कार्य करने हेतु इच्छुक शिक्षकों का उपरोक्त मुद्दों पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान कर कड़े मापदंडों पर मूल्यांकन के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों का एक समूह तैयार किया गया जो किसी भी मुद्दे पर अल्प समय में ही कुशलतापूर्वक प्रशिक्षणों का आयोजन कर सकते है। इस श्रंखला में 21 सितम्बर 2018 से 3 मार्च 2019 (कुल 160 दिन में) 14, दस दिवसीय कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों (D.I.E.Ts) में कार्यरत सभी प्रवक्ताओं एंव अन्य इच्छुक शिक्षकों समेत कुल 643 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। समापन के उपरान्त कार्यशालाओं में सभी प्रतिभागियों द्वारा दी गई प्रस्तुती के मूल्यांकन के आधार पर जिलावार 10–10 मुख्य प्रशिक्षक एंव राज्य स्तरीय प्रशिक्षणों के लिए 25 मुख्य प्रशिक्षकों की सूचियां विभाग की वैब–साईट पर प्रकाशित की गई व साथ ही विभाग से सम्बद्ध सभी एजेंसियों के साथ सांझा भी की गई ताकि भविष्य में सभी प्रकार के प्रशिक्षण सूचीबद्ध प्रशिक्षकों के द्वारा ही करवा कर कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

5.2.7 विषय–विशेष शिक्षाशास्त्र कार्यशालाएं – एक प्रशिक्षक को न केवल प्रशिक्षण कौशलों वरन अपने विषय के शिक्षाशास्त्र का भी व्यापक ज्ञान होना अति–आवश्यक है अन्यथा वह न तो विषय सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान कर सकता और न ही शिक्षकों के लिए संसाधन व्यक्ति की भूमिका निभा सकता। D.I.E.Ts में कार्यरत प्रवक्ताओं को निरंतर विद्यालयों की मॉनिटरिंग एंव मेंटरिंग का कार्य करना होता है। इसलिए उनका शिक्षाशास्त्र पर संवर्धन अत्यंत ही आवश्यक था। इसके लिए टी0एम0सी0 ने भारत के जाने–माने शिक्षाविद प्रो. रोहित धनखड़ की संस्था 'दिगंतर' से सभी डाईट प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण करवाया।

15 फरवरी 2019 से 29 जनवरी 2020 के मध्य 14 सात दिवसीय (आवासीय) कार्यशालाओं के माध्यम से 425 शिक्षकों, जिन्हें पहले चरण में प्रशिक्षण कौशलों में पारंगत किया गया था, को विषय–विशेष शिक्षाशास्त्र में भी पारंगत किया गया ताकि डाईट एक बेहतरीन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र बन कर उभरें।

5.2.8 सक्षम एंव सक्षम प्लस कार्यशालाएं – तत्कालीन महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा टी0एम0सी0 प्रभारी को तीन जिलों में (पंचकूला, अम्बाला व यमुनानगर) मॉनिटरिंग व मेंटरिंग का कार्य सौंपा गया था। गत वर्ष सक्षम एंव सक्षम प्लस कार्यक्रम की सफलता हेतु तीनों जिलों में विद्यालय मुखियाओं व विषयवार शिक्षकों की कुल 17 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिनके माध्यम से तीनों जिलों के लगभग सभी विद्यालयों के शिक्षकों का क्षमता संवर्धन किया गया।

5.2.9 अंग्रेजी शिक्षकों का व्यावसायिक विकास – यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित किया गया था किन्तु मुख्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का दायित्व आधिकारिक रूप से टी0एम0सी0 को सौंपा गया था। पांच दिवसीय व तीन दिवसीय दो कार्यशालाओं के माध्यम से 50 मुख्य प्रशिक्षकों को तैयार किया गया।

(102)

5.2.10 विद्यार्थी सुरक्षा – यह कार्यक्रम भी समग्र शिक्षा अभियान द्वारा संचालित है जिसमें प्रशिक्षण प्रदान करने व प्रशिक्षण मोड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी टी0एम0सी0 को दी गई है। मोडयूल तैयार किया जा चुका है किन्तु महामारी की वजह से प्रशिक्षण नहीं हो पाए है।

5.3 मुख्यमंत्री सौन्दर्यकरण योजना

विद्यार्थियों में स्वच्छता व स्वच्छ वातावरण जागरूक करने बारे मुख्यमंत्री स्कूल सौन्दर्यकरण योजना वर्ष 2011–12 में आरम्भ की गई थी। इस योजना से विद्यालय सौन्दर्यकरण के अन्तर्गत खण्ड स्तर पर प्रथम आने वाले राजकीय उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 50,000/–रूपये प्रति उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को तथा खण्ड स्तर पर चयनित विद्यालय में से जिला स्तर पर प्रथम आने वाले विद्यालयों को 1,00,000/–रूपये की राशि तथा राज्य स्तर पर प्रथम आने वाले एक राजकीय उच्च विद्यालय तथा एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को 5,00,000/–रूपये की राशि प्रदान की जाती है। राज्य के कुल 22 जिलों के 119 खण्डों के विद्यालयों के लिए वित्त वर्ष 2019–20 में 38.03 लाख रूपये की राशि का प्रावधान करवाया गया था। वर्ष 2019–20 में इस राशि से जिला शिक्षा अधिकारियों को सौन्दर्यकरण योजना के तहत 132.97 लाख रूपये पुरस्कार विजेता स्कूलों को वितरित करने हेतु जारी की जा चुकी है।

5.4 अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम

केन्द्रीय प्रायोजित अध्यापक शिक्षा प्रोग्राम के तहत चार जिलों (मेवात, फतेहाबाद, पलवल व झज्जर) में एक–एक जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान, कार्यन्वित किए गये हैं। इसके अतिरिक्त 2 खण्ड शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान मेवात व फतेहबाद में अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कार्यन्वित किये गये हैं। यह खण्ड (जिले) भारत सरकार द्वारा ही चिन्हित किए गये है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिशा निर्देशों के अनुसार एस0सी0ई0आर0टी0 तथा डाईटों की पुनः संरचना की गई है तथा डाईटों में सभी सातों युनिट कार्यन्वित हो गई है।

वर्ष 2019–20 में, शिक्षकों के व्यवसायिक विकास हेतु, लगभग 20000 शिक्षकों (जे0बी0टी0, टी0जी0टी0, पी0जी0टी0, स्कूलों के मुख्याध्यापकों व प्रधानाचार्यों) को एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुरूग्राम व जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।

झज्जर में राज्य स्तरीय अध्यापक शिक्षण संस्थान, जो कि राष्ट्रीय स्तर के मानकों अनुसार है, खोला गया है जिसमें 4 वर्षीय एकीकृत बी0ए0/बी0एस0सी0 तथा बी0एड0 का कोर्स शुरू किया गया है। वर्तमान में यह संस्थान मॉडल स्कूल झज्जर के भवन में चल रहा है। इस संस्थान के भवन निर्माण हेतु झज्जर एजूकेशन सोसायटी के साथ करार करते हुए इसकी जमीन लीज पर ली गई है। इस संस्थान हेतु वर्ष 2019–20 के लिए 200 लाख रूपये

की राशि ग्रांट ईन एड तथा 1100 लाख रूपये की राशि नई ईमारत के लिए स्वीकृत की गई है।

5.5 ई–गवर्नेन्स स्कीम/आई0टी0 सैल

1. 1768+2631 बास टेबलेट व 1768+2557 ऐसेस प्वाईन्ट खरीद किए गए।
2. 127 यू0पी0एस0 की खरीद कर क्षेत्रीय कार्यालयों में लगाए गए।

5.6 खेल–कूद

वित्त वर्ष 2019–20 में हरियाणा ने राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में 110 स्वर्ण, 95 रजत एंव 112 कांस्य पदक (कुल 317 मैडल) प्राप्त किए हैं। हरियाणा राज्य ने 2019–20 में राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया है। 3rd Khelo India Youth Games, Guwahati (Assam) 2019–20 में आयोजित खेलों में भी हरियाणा राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

वर्ष 2019–20 में 32 राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन निदेशालय स्तर पर करवाया गया है। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2019–20 हेतु राज्य सरकार द्वारा 150.00 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया था। वित्त वर्ष 2020–21 में भी हरियाणा सरकार द्वारा 150 लाख रूपये बजट दिया गया है। इसके अतिरिक्त खेल उपकरण की खरीद तथा खेल के मैदानों के निर्माण हेतु 200 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया था। जोकि स्कूलों को उपलब्ध करवा दिया गया था। वित्त वर्ष 2020–21 में 700 लाख रूपये का बजट दिया गया है तथा सभी स्कूलों में खेल का सामान उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है।

5.7 बुक बैंक

वर्ष 2019–20 में राज्य के सरकारी उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु 130.00 लाख रूपये का राशि प्रावधान किया गया था जोकि संबंधित मद पर खर्च करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों को अलॉट की गई थी। यह राशि सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा खर्च की जा चुकी है।

5.8 एडवेंचर कार्यक्रम एवं कैम्पिंग :–

समर एवं विंटर एडवैंचर कैंपों का आयोजन कमशः मनाली (हिमाचल प्रदेश) में नैशनल एडवैंचर कल्ब (इंडिया) चंडीगढ़ और हरियाणा टूरिजम कार्पोरेशन के सहयोग से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के 9वीं से 12वीं कक्षाओं के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए किया गया। जिनमें विभिन्न हल्की साहसिक गतिविधियों जैसे चट्टानों की चढ़ाई, रस्सी के द्वारा चट्टानों से उतरना, नदी पार करना, राईफल शूटिंग, निशानेबाजी, लोक नृत्य और गायन, पर्वतारोहण कार्यक्रम आदि का आयोजन किया गया। इन सभी शिविरों में प्रतिभागियों ने

सफलतापूर्वक भाग लिया। निदेशालय से विभिन्न अधिकारियों ने समय–समय पर कैंप का निरीक्षण किया।

5.9 विद्यार्थी कानूनी साक्षरता कार्यक्रम :–

कानूनी साक्षरता प्रतियोगिताएं खण्ड स्तर पर, जिला स्तर पर तथा मण्डल स्तर पर आयोजित की गई, जिनमें राज्य के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने मानवाधिकार, मौलिक कर्तव्य, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, परित्यक्त महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सुरक्षा एक्ट 2005, दहेज उन्मूलन, नशा मुक्ति, कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह, रैगिंग, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण एवं जागरूकता, वित्तीय साक्षरता, कानूनी दिशाएं, पुलिस पब्लिक सहयोग, स्वच्छता आदि विषयों पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे – निबन्ध लेखन, स्लोगन लेखन, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, भाषण, वाद–विवाद, कविता वाचन, पावर प्वाईंट प्रेजेन्टेशन, सामाजिक विषयों पर डोक्यूमैंटरी आदि प्रतियोगिताएं करवाई गई।

5.10 स्काउट एवं गाईड कार्यक्रम :–

राज्य में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु स्काउट एवं गाईड कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों व अन्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु अनुदान राशि हरियाणा राज्य भारत स्काउट एवं गाईड एसोसिएशन व हिन्दुस्तान स्काउट एवं गाइड एसोसिएशन को राज्य के विभिन्न स्कूलों में स्काउट, गाईड, कब एवं बुलबुल की गतिविधियों के व्यापक प्रसार हेतु उपलब्ध करवाई गई। जो कि शत प्रतिशत राशि खर्च कर ली गई। इसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के 12 लाख विद्यार्थी लाभांवित हुए।

5.11 विद्यार्थी मूल्यांकन परीक्षाएँ :–

नो डिटेंशन पॉलिसी के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए पहली से बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी मूल्यांकन परीक्षाएँ शुरू की गई जिसके तहत सभी विद्यालयों के 20 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त उत्तर पंजिका भी उपलब्ध करवाई गई है ताकि इन परीक्षाओं के मूल्यांकन में एकरूपता लाई जा सके। बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम सुधारने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए प्री–बोर्ड परीक्षा का आयोजन भी किया गया।

5.12 स्वर्ण जयन्ती फलैगशिप कार्यक्रम :–

हरियाणा राज्य के गठन की स्वर्ण जयन्ती को ध्यान में रखते हुए समूचे शैक्षणिक वातावरण को आकर्षक, ज्ञानवर्धक एवं चरित्र निर्माण आधारित बनाने तथा शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करने के उद्देश्य से विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा स्वच्छ प्रांगण, सुगम शिक्षा एवं सुसंस्कार नाम से फलैगशिप कार्यक्रम चलाए गए। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नोक्त है :–

क) स्वच्छ प्रांगण कार्यक्रम के तहत सभी स्कूलों में ईको क्लबों को सक्षम बनाने एवं विद्यालय प्रांगण को साफ–सुथरा रखने के लिए Multipurpose Worker हेतु प्रावधान किया गया।

ख) सुगम शिक्षा के तहत विभिन्न विद्यालयों में रिक्त पदों पर सेवानिवृत शिक्षकों की सेवाएं उपलब्ध करवाई गई।

ग) सुसंस्कार कार्यक्रम को "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान के साथ जोड़ते हुए विभाग द्वारा कई अद्वितीय पहल की गई। "बेटी का सलाम, राष्ट्र के नाम" पहल के अन्तर्गत सभी विद्यालयों में स्वतन्त्रता दिवस समारोहों एवं गणतन्त्र दिवस समारोहों के अवसर पर गाँव की सर्वाधिक शिक्षित बेटी को ध्वजारोहण हेतु मुख्य अतिथि और नवजन्मी बालिकाओं की माताओं को उक्त कार्यक्रमों में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

5.13 Super 100

हरियाणा के सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के मकसद से "सुपर 100" नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निजी स्कूलों में उन लोगों के साथ सुविधाएं प्रदान करना है जो छात्रों को IIT / JEE, NEET इत्यादि जैसी परीक्षाओं के लिए सक्षम बना सकते हैं। इस पहल के तहत विभाग छात्रों को परिवहन सुविधा के साथ बोर्डिंग और लॉजिंग प्रदान कर रहा है। पहले उदाहरण में विभाग ने दो कोचिंग पार्टनर Vikalp और ACE ट्यूटोरियल्स के साथ कार्यक्रम शुरू किया, इस साल इस कार्यक्रम का विस्तार कोचिंग पार्टनर Allens Career Institute के साथ किया गया है। पहले बैच (2018-20) के 23 छात्रों ने IIT एडवांस की परीक्षा और 71 ने NEET की परीक्षा उत्तीर्ण की

5.14 Establishment of 310 English Medium School

राज्य के चयनित 310 विद्यालयों की कक्षा 9वीं में एक सैक्शन अंग्रेजी माध्यम का शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान और गणित विषय में रूचि उत्पन्न करना है ताकि इन विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में विज्ञान विषय पढ़ने में दिक्कत न आए क्योंकि 11वीं और 12वीं कक्षा में Medical और Non Medical संकाय अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाए जाते हैं।

5.15 विज्ञान कार्यक्रम को बढ़ावा देना

विज्ञान आज की शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकारी विद्यालयों के लिए विज्ञान संवर्धन योजना चलाई गई है। अब तक इस योजना का मुख्य उद्देश्य विज्ञान प्रयोगशालाओं को समर्थ बनाना रहा है। सभी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान की पृथक प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं।

5.16 Co-curricular Activities

(106)

हरियाणा की आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन तंत्र को बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग सांस्कृतिक मूल्यों, लोक कला, विरासत और समाज के रीति रिवाजों को मजबूत करने पर केन्द्रित है। सांस्कृतिक उत्सव के अन्तर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमें नृत्य, नाटक, संगीत और कला के क्षेत्र को शामिल किया गया। कला एंव संस्कृति विभाग के साथ मिलकर सह पाठ्यक्रम पर आधारित Summer Camps का आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य की लोक कला को बढ़ावा देने के लिए बाल रंग कार्यक्रम का हरियाणा राज्य में आयोजन किया गया। इसी बालरंग कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर जोकि भोपाल में आयोजित हुआ हरियाणा राज्य के राजकीय विद्यालय की टीम ने पुरस्कार जीता। राज्य में कला और ड्राईंग शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। विद्यालयों में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए व अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगीत, वाद्य यंत्र व वेशभूषा के लिए वित्तीय अनुदान भी दिया गया। ''बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ'' कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर गाँव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी बेटी द्वारा विद्यालयों में 'बेटियों का सलाम राष्ट्र के नाम' कार्यक्रम कें अन्तर्गत ध्वजारोहण करवाया गया तथा दिव्यांग बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँव की दिव्यांग बेटी द्वारा गणतन्त्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करवाया गया।

5.17 English Medium Bag Free School Programme

राज्य में सत्र 2019–20 में 418 विद्यालयों में English Medium Bag Free School Programme चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से गृह कार्य के बोझ के बिना पढ़ाया जा रहा है।

5.18 Reading Promotion Programme

विद्यार्थियों के पढ़ने के कौशल को निखारने के लिए 'सुबह अच्छी तो दिन अच्छा' कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अन्तर्गत विद्यार्थी प्रार्थन सभा में दिए गए विषय पर चर्चा करेंगें।

5.19 English Promotion Program ("I am not afraid of English")

यह कार्यक्रम बालकों को अंग्रेजी भाषा को पढ़ने, लिखने व उच्चारण करने के योग्य बनाने हेतु शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु है। शुरूआत में, एक हजार वाक्यों/वाक्यांशों वाली एक पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें दो सौ वाक्य प्रति कक्षा के हिसाब से प्राथमिक स्तर की पाँचों कक्षाओं के लिए वाक्य दिए गए हैं। इस प्रकार एक माह में कम से कम बीस वाक्य और वर्ष भर में कम से कम दो सौ वाक्य हर बालक को सिखाये जाएंगे। इस प्रकार कक्षा पाँच पूरी करते समय प्रत्येक बालक कम से कम एक हजार अंग्रेजी के ऐसे वाक्यों का प्रयोग

करने में सक्षम होगा जो रोजमर्रा के जीवन में बोले जाते हैं। यह कार्यक्रम प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में लागू किया गया है।

अध्याय छठा

अन्य शाखाओं द्वारा किए गए कार्य

निदेशालय की अन्य शाखाओं द्वारा वर्ष 2019–20 की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए।

6.1 प्रशासन शाखा

वर्ष 2019–20 दौरान प्रशासन शाखा ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों/आदेशानुसार विशेष अभियान चलाया गया जिसमें स्थापना से सम्बन्धित कार्य जैसे कि ए0सी0पी0, लोन, पैन्शन तथा पदोन्नति आदि सम्बन्धित कार्य निपटाए गए।

6.2 एडिड स्कूल –

1. गुरूकुल पाठशालाओं Grant in aid scheme के तहत 22.00 लाख रूपये की राशि बांटी गई।
2. राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को सैलरी एंव ग्रैच्युटी की राशि Grant in aid scheme के तहत 143567672/–करोड़ रूपये की राशि बांटी गई।
3. शाखा में 20 सी0एम0 विन्डों तथा 93 आर0टी0आई0 एक्ट 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 20 सी0एम0 विन्डों और 89 आर0टी0आई0 के प्रार्थना पत्रों का निपटान किया गया।

6.3 पी0जी0टी0–ा

वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित Heads के अन्तर्गत सभी मामलों का निपटान तथा अवधि के भीतर किया गया :–

1. CCL Sanction.
2. Medical Reimbursement
3. Transfer/Adjustment
4. Charge sheet/Disciplinary action
5. Permission for going abroad
6. Permission for higher education

6.4 तालमेल –1

1. शिक्षक दिवस (05.09.2019) के उपलक्ष्य में महामहिम राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा राज्य के कुल 40 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार–2019 प्रदान किए गये थे।
2. शिक्षक दिवस (05.09.2019) के उपलक्ष्य में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा राज्य के 1 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2019 प्रदान किया गया था।
3. हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) की वैधता 5 साल से 7 साल तक बढ़ाई गई थी।
4. राज्य के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों की सेवा सुरक्षित करने के लिए हरियाणा अतिथि अध्यापक सेवा एक्ट 2019 लागू किया गया।

5.5 लेखा (फील्ड) –

वर्ष 2019–20 में डयूल डैस्क खरीदने हेतु 44.00 करोड़ रूपये का प्रावधान है। "2202-General Education 02-Secondary Education 109-109-Government Secondary Schools [99] Teaching staff including other Establishments [98] Establishment Expenses. Provision of Dual Desk for Govt. High/Sr. Sec.Schools [24] Material & Supply के तहत यह राशि वहन की जाती है।

C.M. Announcement Number 9796 दिनांक 22.01.2015 जिला पानीपत में (कक्षा 9–12वीं तथा प्राईमरी विभाग से प्राप्त मांग अनुसार) सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र–छात्राओं के बैठने हेतु 1,79,217 कुर्सियां, 1,11,163 टेबल 308116 डयूल डैस्क को खरीदने हेतु Supplies & Disposal Department से 206.64 करोड़ रूपये का टेन्डर किया गया है।

स्कीम–2

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय प्रयोग हेतु नई गाड़ी खरीदने व जिला शिक्षा अधिकारियों/उप–जिला शिक्षा अधिकारियों व खण्ड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय प्रयोग तथा विद्यालयों के निरीक्षण हेतु किराये की गाड़ियों हेतु वर्ष (2019–20)

वर्ष 2019–20 में विद्यालयों के निरीक्षण हेतु किराये की गाड़ियों के लिए 1.25 करोड़ रूपये का प्रावधान है। जिसमें से 1.25 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त 1,07,89,015/– रूपये की स्वीकृति इस हैड "2202-General Education-02-Secondary Education-001-Direction & Administration [99]-Administrative Staff [98]-DEOs Establishment (Field Staff) के तहत जिला शिक्षा अधिकारियों/उप जिला शिक्षा अधिकारियों व खण्ड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय प्रयोग हेतु जारी की जा चुकी है।

अध्याय सातवां

(110)

राज्य चौकसी विभाग से सम्बन्धित सूचना

विषयांकित मामले में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा के पत्र क्रमांक 3960/गुप्त/रा.चौ.ब्यूरो. (ह.) दिनांक 09.03.2021 से प्राप्त सूचना के आधार पर अंकित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान मुकदमा कमांक 03 दिनांक 19.03.2020 धारा 7 पी0सी0 एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक विरूद्ध रामपाल धनखड़, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत व पवन कुमार, लिपिक कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को 3,00,000/– रूपये रंगे हाथों पकड़े जाने पर रेड के आधार पर दर्ज किया गया तथा निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमित जांच दर्ज की गई :–

क्र0 सं0	जांच क्रमांक व दिनांक	विरूद्ध
1.	03 दिनांक 14.05.2019 सोनीपत	सरधर्म उर्फ बिट्टू, जे0बी0टी0 अध्यापक निवासी गांव राठधाना, जिला सोनीपत।
2.	09 दिनांक 31.10.2019 करनाल।	संजीव कुमार चौपड़ा, लिपिक, राजकीय माध्यमिक स्कूल, बडौता जिला करनाल।